न्यायालय जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारी, यज्ञ मित्र सिंहदेव, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या 10/2013/ निगरानी

नरसी प्रसाद शर्मा पुत्र केशरदेव शर्मा, जाति ब्राहम्ण, निवासी शिवसिंहपुरा, तहसील व जिला सीकर (राज.)।
निगरानीकर्त्ता

बनाम

1. सम्बल शिक्षण संस्थान, शिवसिंहपुरा जरिये सचिव मधु आर्य पत्नी डॉ. मनीष आर्य, जाति जाट, निवासी ग्राम कुडली, पंचायत समिति पिपराली, जिला सीकर।
2. ग्राम पंचायत कुडली, पंचायत समिति पिपराली जरिये सरपंच।

गैर निगरानीकर्त्ता

उपस्थितः—

1. श्री **महेश कुमार जांगिड़** अधिवक्ता निगरानीकर्ता की ओर से।
2. श्री **सागर मल धायल** अधिवक्ता गैर निगरानीकर्ता संख्या 1 की ओर से।

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम 1993
विरूद्व आज्ञा दिनांक 17.10.2012 द्वारा न्यायालय प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति पिपराली

निर्णय

सुनवाई तिथि अक्टूबर, 2019 **निर्णय दिनांकः31 अक्टूबर, 2019**

1. निगरानीकर्ता ने इस प्रकार के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से होना अंकित किया हैः—

(1) निगरानीकर्त्ता की कब्जे, हक व अधिकार के आवासीय भूमि ग्राम शिवसिंहपुरा तहसील व जिला सीकर में है, जिसका पट्टा प्राप्त करने हेतु निगरानीकर्त्ता द्वारा प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत शिवसिंहपुरा के समक्ष पेश किया। ग्राम पंचायत द्वारा उर्जदारी नोटिस जारी कर पंचगणान को मौका निरीक्षण हेतु कमिश्नर जारी किया जाकर ग्राम पंचायत की निर्धारित बैठक व आपत्ति नोटिस में वर्णित 27.12.1999 तक कोई आपत्ति पेश नहीं होने तथा मौका कमिश्नर, सरपंच भागीरथमल व पूर्णमल पंचगणान द्वारा निगरानीकर्त्ता का निर्विवाद कब्जा होने की रिपोर्ट पेश होने पर पट्टा फीस 205 रूपये जमा की जाकर प्रार्थी के हक में पट्टा संख्या 38 दिनांक 27.12.1999 को जारी कर दिया।

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

(यज्ञ मित्र सिंहदेव)
जिला कलक्टर
सीकर (राज.)

Scanned by CamScanner

(2) निगरानीकर्त्ता पट्टाधीन सम्पत्ति पर एकाकी स्वामी, मालिक उपयोग व उपभोग करता चला आ रहा है। निगरानीकर्त्ता से द्वेषता रचाने वाले निहीत स्वार्थी व्यक्ति द्वारा संस्था की आड़ में राजनैतिक सांठ–गांठ कर पट्टा संख्या 38 की अपील अधीनस्थ न्यायालय प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति पिपराली के समक्ष मियाद बाहर पेश की जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि एवं तथ्यों के विपरीत जाकर गैर निगरानीकर्त्ता की अपील स्वीकार कर निगरानीकर्त्ता के हक में जारी पट्टा संख्या 38 को निरस्त करने की आज्ञा दिनांक 17.10.2012 को पारित कर दी।

(3) निगरानीकर्त्ता द्वारा पट्टा हेतु आवेदन दिनांक 08.06.1999 को पेश किया गया। जिस पर दिनांक 27.11.1999 को आपत्ति पेश करने हेतु एक माह का समय निर्धारित किया गया विहीत अवधि के दौरान कोई आपत्ति पेश नहीं होने व पंचगणान द्वारा मौका निरीक्षण रिपोर्ट में निगरानीकर्त्ता का निर्विवाद कब्जा होने पर दिनांक 27.12.1999 को ग्राम कुड़ली द्वारा प्रस्ताव संख्या 6 पारित कर सर्वसम्मति से पट्टा संख्या 38 जारी कर दिया गया। जब पट्टा 27.12.1999 को जारी किया गया उस दिन गैरनिगरानीकर्त्ता संख्या 1 उसकी संस्था का शिवसिंहपुरा में अस्तित्तव ही नहीं था। वह पट्टा संख्या 38 से प्रभावित व्यक्ति की श्रेणी में नहीं आता।

(4) ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा 27.11.1999 को जारी किया गया था। पट्टे की अपील हेतु धारा 97क में निर्धारित अवधि 30 दिन है। गैरनिगरानीकर्त्ता संख्या 1 द्वारा अपील 02.04.2012 को पेश की गई, जो 12 वर्ष 3 माह के असाधारण विलम्ब सहित पेश की गई है। अपील धारा 5 मियाद अधिनियम के आवेदन में जिस जानकारी का उल्लेख किया गया है। वह जानकारी गैरनिगरानीकर्त्ता संख्या 1 को उसे दिनांक 19.02.2011 को हो चुकी थी। जानकारी के एक वर्ष 2 माह बाद पेश की गई अवधि बाधित अपील में पारित आज्ञा निरस्तनीय है।

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

(5) निगरानीकर्त्ता के कब्जेशुदा व पट्टेशुदा भूखण्ड के उत्तरी तरफ रास्ता है। वर्ष 2006 में गैरनिगरानीकर्त्ता संख्या 1 ने निगरानीकर्त्ता के पड़ोस में पूर्व में स्थित कृषि भूमियों जिनके खसरा नम्बर 362/237, 365/241 व 367/241 कुल रकबा 0.37 हैक्टेयर को क्रय कर लिया। गैरनिगरानीकर्त्ता संख्या 1 द्वारा क्रय की गई सम्पति के पूर्व स्वामी रामेश्वर व उसके भाईयों क मध्य दावा संख्या 129/92 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर के यहां चला था, जो जरिये राजीनामा दिनांक 17.04.1998 को निर्णित हुआ। एस.डी.ओ. सीकर के निर्णय दिनांक 17.04.1998 को विवादित सम्पतियों के आवागमन हेतु जिस रास्ते का विवरण दिया गया है, उक्त

(यज्ञ मित्र सिंहदेव)
जिला कलक्टर
सीकर (राज.)

Scanned by CamScanner

रास्ते की भूमि गैरनिगरानीकर्त्ता संख्या 1 अवैध रूप से कब्जा की कुचेष्टा रखता है।

(6) अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय के विश्लेषण में यह अंकित किया है कि ''नरसी प्रसाद रेस्पोडेन्ट ने जो विवादित पट्टा ग्राम पंचायत से प्राप्त किया है, उसके उत्तरी तरफ रास्ता मौका के सर्वथा विपरीत दर्शित किया गया है, जिससे अपीलान्ट प्रभावित व्यक्ति है। ग्राम पंचायत ने कोई सूचना नोटिस नहीं दी। इसलिए ग्राम पंचायत कुड़ली के निर्णय प्रस्ताव संख्या 6 दिनांक 27.12.1999 को पट्टा संख्या को निरस्त किया जाता है।'' अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस व्यक्ति को प्रभावित व्यक्ति मान कर नोटिस देना अनिवार्य बताया गया है, वह दिनांक 27.12.1999 को ग्राम पंचायत कुडली की ग्राम सभा का सदस्य नहीं था। वह शिवसिंहपुरा व ग्राम पंचायत कुडली में कोई भी सम्पति धारण नहीं करता था। इस कारण वह किसी भी रूप में प्रभावित व्यक्ति नहीं माना जा सकता।

(7) अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष निगरानीकर्त्ता द्वारा प्रारम्भिक आपत्तियां मय दस्तावेज पेश किये गये थे, जिनका निस्तारण अपील के निस्तारण से पूर्व किया जाना कानूनन आवश्यक था। जब दिनांक 21.08.2012 को अपात्तियों की बहस सुन ली गई तो आपत्तियों का निर्णय न कर अपील का निर्णय किया जाना कानून सम्मत नहीं है।

(8) अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी आदेशिका दिनांक 17.04.2012 में ग्राम पंचायत कुडली से प्रकरण से सम्बन्धित मूल पट्टा पत्रावली, कार्यवाही रजिस्टर, पट्टा, रसीद बुक जांच हेतु मूल पेश करने का आदेश दिया था लेकिन उक्त पत्रावली पट्टाबही, कार्यवाही रजिस्टर, रसीद बुक प्राप्त हुए बिना ही प्रकरण का यह लिखते हुए निर्णय कर दिया कि पट्टा जारी करने से पूर्व मौका निरीक्षण रिपोर्ट नहीं ली गई, जबकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष निर्णय के समय पट्टा पत्रावली व रिकॉर्ड था ही नहीं। इस प्रकार बिना ग्राम पंचायत कुडली की पत्रावली का अवलोकन किये अपने निर्णय में यह टिप्पणी करना कि पंचगणान द्वारा मौका नहीं देखा गया है।

(9) निगरानीकर्त्ता के पैर का ऑपरेशन होने से वह चलने फिरने से असमर्थ हो गया तथा चिकित्सकों की राय से पूर्ण बैड रेस्ट पर रहा तथा उसे अपने पैरों का ऑपरेशन करवाना पड़ा, इसलिए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 07.09.2012 से 03.04.2013 तक असमर्थ रहा। दिनांक 04.04.2013 को अधीनस्थ न्यायालय से प्रकरण की जानकारी लेने पहूंचा तो उक्त प्रकरण का निर्णय दिनांक 17.10.2012 में कर दिये जाने की जानकारी दी। इस पर

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

(राज मित्र सिंहदेव)
जिला कलक्टर
सीकर (राज.)

Scanned by CamScanner

अविलम्ब नकल का आवेदन प्रस्तुत किया। नकल दिनांक 04.04.2013 को हस्ताक्षरित होकर 05.04.2013 का निगरानीकर्त्ता को प्राप्त हुई। जानकारी के अभाव में हुआ विलम्ब क्षमा किये जाने योग्य है।

अतः निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पट्टा संख्या 38 के सम्बन्ध में दिनांक 17.10.2012 को पारित आज्ञा निरस्त किया जावे।

2. निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर गैर निगरानीकर्ता को जरिये नोटिस तलब किया गया व ग्राम पंचायत कुड़ली से रिकॉर्ड तलब किया गया। गैर निगरानीकर्ता संख्या 01 की ओर से वकील श्री सागर मल धायल उपस्थित हुए।

3. बहस उभयपक्ष सुनी गई।

4. निगरानीकर्ता के योग्य अभिभाषक ने निगरानी मीमो में अंकित कथनों को दोहराते हुए अभिकथन किया कि निगरानीकर्त्ता द्वारा पट्टा हेतु आवेदन दिनांक 08.06.1999 को पेश किया गया। जिस पर दिनांक 27.11.1999 को आपत्ति पेश करने हेतु एक माह का समय निर्धारित किया गया विहीत अवधि के दौरान कोई आपत्ति पेश नहीं होने व पंचगणान द्वारा मौका निरीक्षण रिपोर्ट में निगरानीकर्त्ता का निर्विवाद कब्जा होने पर दिनांक 27.12.1999 को ग्राम कुड़ली द्वारा प्रस्ताव संख्या 6 पारित कर सर्वसम्मति से पट्टा संख्या 38 जारी कर दिया गया। जब पट्टा 27.12.1999 को जारी किया गया उस दिन गैरनिगरानीकर्त्ता संख्या 1 उसकी संस्था का शिवसिंहपुरा में अस्तित्तव ही नहीं था। वह पट्टा संख्या 38 से प्रभावित व्यक्ति की श्रेणी में नहीं आता। ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा 27.11.1999 को जारी किया गया था। पट्टे की अपील हेतु धारा 97क में निर्धारित अवधि 30 दिन है। गैरनिगरानीकर्त्ता संख्या 1 द्वारा अपील 02.04.2012 को पेश की गई, जो 12 वर्ष 3 माह के असाधारण विलम्ब सहित पेश की गई है। अपील धारा 5 मियाद अधिनियम के आवेदन में जिस जानकारी का उल्लेख किया गया है। वह जानकारी गैरनिगरानीकर्त्ता संख्या 1 को उसे दिनांक 19.02.2011 को हो चुकी थी। जानकारी के एक वर्ष 2 माह बाद पेश की गई अवधि बाधित अपील में पारित आज्ञा निरस्तनीय है। अतः निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पट्टा संख्या 38 के सम्बन्ध में दिनांक 17.10.2012 को पारित आज्ञा निरस्त किया जावे।

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

5. अप्रार्थीगण के योग्य अभिभाषक का कथन है कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य राजीनामा हो गया है। जिसके अनुसार ग्राम पंचायत शिवसिंहपुरा द्वारा प्रार्थी नरसी प्रसाद के हक में जारी पटटा संख्या 38 के सम्बन्ध में अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा पंचायत समिति पिपराली में अपील प्रस्तुत की थी, जो स्वीकार कर उक्त पट्टा निरस्त फरमा दिया गया था। प्रार्थी अपने पट्टे की आवासीय गुवाड़ी के उत्तरी तरफ अप्रार्थी संख्या 1 की सम्पदा होना स्वीकार करता है। विस्तृत राजीनामा अपर सिविल न्यायाधीश द्वितीय सीकर के

(सज मित्र सिंहदेव)
जिला कलक्टर
सीकर (राज.)

Scanned by CamScanner

यहां प्रस्तुत किया जा चुका है। अतः निगरानी स्वीकार की जाती है तो अप्रार्थीगण को कोई आपत्ति नहीं है।

6. हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का बगौर अवलोकन किया कि निगरानीकर्त्ता और गैर निगरानीकर्त्ता द्वारा न्यायालय हाजा में दिनांक 25.04.2019 को राजीनामा पेश किया है, जिसमें अंकित किया है–'' प्रार्थी नरसी प्रसाद व अप्रार्थी के मध्य राजीनामा हो गया है व नरसी प्रसाद अपने पट्टे की आवासीय गुवाडी के उत्तरी तरफ अप्रार्थी सम्बल शिक्षण संस्थान की सम्पदा होना स्वीकार करता है व विस्तृत राजीनाम अपर सिविल न्यायाधीश द्वितीय सीकर के यहां प्रस्तुत किया जा चुका है।''

7. उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकर्त्ता की निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय प्रशासन एवं स्थायी समिति पंचायत समिति पिपराली को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर एक माह में निस्तारण करें।

8. निर्णय आज दिनांकः31 **अक्टूबर, 2019** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यज्ञ मित्र सिंहदेव)
जिला कलक्टर, सीकर
(यज्ञ मित्र सिंहदेव)
जिला कलक्टर
सीकर (राज.)

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner